न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 261/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2023/399

अनवान

पप्पू पिता बरदू बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लूलास तहसील शाहपुरा

–प्रार्थी

बनाम

1– उमराव सिंह पिता बरदीचन्द महाजन निवासी लूलास तहसील शाहपुरा
2– नन्दा पुत्र उदा तेली निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
3– रामकिशन पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
4– मु. उदी पत्नी भैरू बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
5– मु. कमला पत्नी उगमा बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
6– कालू पिता उगमा बैरवा नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मु. कमला पत्नी उगमा बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
7– खाना पिता लालू बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
8– गणेश पुत्र भैरू बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
9– घनश्याम पुत्र उगमा बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
10– मु. भूला पुत्री उगमा बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
11– राधेश्याम पुत्र उगमा बैरवा नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मु. कमला पत्नी उगमा बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
12– मु. सायरी उर्फ फोरी पुत्री भैरू बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
13– हरजी पुत्र लालू बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
14– हरि पुत्री उगमा बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
15– हरिराम पुत्र उगमा बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा
16– मु. भूरी पुत्री छीतर बैरवा निवासी रामपुरा पंचायत लुलास तहसील शाहपुरा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 12.12.2023

उपस्थित :–

श्री त्रिलोक चंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थी
विपक्षीगण संख्या 1 से 15 एकपक्षीय

::– निर्णय –::

दिनांक : 29.07.2025

1. वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व **ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 948 रकबा 1.52 है0, 954 रकबा 0.38 है0, 949 रकबा 0.80 है0, 950 रकबा 0.47 है0, 951 रकबा 0.21 है0, 952 रकबा 0.21 है0, 953 रकबा 0.21 है0, 947 रकबा 0.58 है0, 945 रकबा 0.01 है0, 946 रकबा 0.60 है0 कुल किता 10 रकबा 4.99 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण 01 लगायत 03 पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थी दिनांक 15.10. 2023 को अपनी आराजियात पर गया तो विपक्षीगण 01 लगायत 3 द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। अतः वाद हेतु तारीख 15.10.2023 से पैदा होकर जारी है।**
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण संख्या 1 से 15 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 15.05.24 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई

गई। एवं विपक्षीगण सं0 16 के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी द्वार कोई कार्यवाही नहीं चाहने से दिनांक 22.07.24 को कार्यावाही ड्रोप की गई।

3. प्रार्थी अधिकक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व **ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 948 रकबा 1.52 है0, 954 रकबा 0.38 है0, 949 रकबा 0.80 है0, 950 रकबा 0.47 है0, 951 रकबा 0.21 है0, 952 रकबा 0.21 है0, 953 रकबा 0.21 है0, 947 रकबा 0.58 है0, 945 रकबा 0.01 है0, 946 रकबा 0.60 है0 कुल किता 10 रकबा 4.99 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि राजस्व **ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा** के खेत की आराजी **खसरा नम्बर 948 रकबा 1.52 है0, 954 रकबा 0.38 है0, 949 रकबा 0.80 है0, 950 रकबा 0.47 है0, 951 रकबा 0.21 है0, 952 रकबा 0.21 है0, 953 रकबा 0.21 है0, 947 रकबा 0.58 है0, 945 रकबा 0.01 है0, 946 रकबा 0.60 है0 कुल किता 10 रकबा 4.99 है0** भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की **जमाबंदी संवत् 2076 से 2079** का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 948 रकबा 1.52 है0, 954 रकबा 0.38 है0, 949 रकबा 0.80 है0, 950 रकबा 0.47 है0, 951 रकबा 0.21 है0, 952 रकबा 0.21 है0, 953 रकबा 0.21 है0, 947 रकबा 0.58 है0, 945 रकबा 0.01 है0, 946 रकबा 0.60 है0 कुल किता 10 रकबा 4.99 है0** का अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वंतत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व **ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 948 रकबा 1.52 है0, 954 रकबा 0.38 है0, 949 रकबा 0.80 है0, 950 रकबा 0.47 है0, 951 रकबा 0.21 है0, 952 रकबा 0.21 है0, 953 रकबा 0.21 है0, 947 रकबा 0.58 है0, 945 रकबा 0.01 है0, 946 रकबा 0.60 है0** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्ततन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29-07-2025** को सरे इजलास सुनाया गया

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी